भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2626
उत्तर देने की तारीख: 16.12.2025

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए विधेयक में संशोधन

2626. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के विधेयक को निरस्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त प्रस्तावित विधेयक के स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रयास सफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सीवरों और सेप्टिक टैंकों के पूर्ण मशीनीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्देशित उक्त विधेयक का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 में स्वच्छता प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई थी ताकि जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों और जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों के मशीनीकरण के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में मुआवजे देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो।

चूंकि, राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) योजना और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत उपरोक्त मुद्दों का ध्यान रखा गया है, इसलिए संशोधन विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया गया।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में इसे शुरू

किया था। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर हासिल करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए। नमस्ते योजना के तहत की जाने वाली पहलें इस प्रकार हैं:-

(i) सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की प्रोफाइलिंग और उनका सत्यापन करना;
(ii) एसएसडब्ल्यू के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराना;
(iii) एसएसडब्ल्यू को पेशागत प्रशिक्षण प्रदान करना;
(iv) आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई कार्ड उपलब्ध कराना;
(v) आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना;
(vi) स्वच्छता संबंधी मशीनों/उपकरणों के लिए एसएसडब्ल्यू और निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों को अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना;
(vii) जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों पर कार्यशाला आयोजित करना।

नमस्ते योजना के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- 89,104 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) को सत्यापित किया गया है।
- एसएसडब्ल्यू के लिए 85,743 पीपीई किट और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए 653 सुरक्षा उपकरण किट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए हैं।
- आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई; राज्य स्वास्थ्य योजना और नमस्ते योजना के तहत 70,950 लाभार्थियों को कवर किया गया है।
- स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 782 स्वच्छता कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 23.91 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम पर 1188 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(ग): प्रश्न के भाग (क) में उत्तर दे दिया गया है।

*****